UPSI180000612022

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Amit Singh), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/4/2022

Ramsaran Vs. Awadhesh kumar and Others

03.01.2022

वादी द्वारा **श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा एडवोकेट** के माध्यम से वाद–पत्र बाबत **स्थाई निषेधाज्ञा**, प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिला जवाबदावा एवं वास्ते विरचन वादबिन्दु दिनांक 02.02.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थनापत्र 6ग2–

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 6ग2 अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 पर एकपक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि प्रार्थना–पत्र 6ग2 समर्थित शपथ–पत्र 7ग2 में वादी/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि नक्शा नजरी संलग्न वाद–पत्र में अक्षर अ,ब,स,द,य,र से प्रदर्शित भूमि जमीदारी खात्मा के पूर्व से वादी के पूर्वजों बादहू वादी के कब्जे व इस्तेमाल में है। वादीय भूमि पर वादी के 1 नीम 35 साल, 4 चिलवल 10 साल, 1 कटहल 10 साल, 1 अमरूद 4 साल के लगे हैं। इसी भूमि में वादी का घूरा भी पड़ा है। वादीय भूमि को वादी अहाता के रूप में प्रयोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण जिनका वादीय भूमि से कोई वास्ता–सरोकार नहीं है, वे वादीय भूमि पर जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाय।

प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे इस स्तर पर वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थी के स्वत्व व अध्यासन के सम्बन्ध में कोई अवधारणा की जा सके। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना–पत्र 6ग2 पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

विपक्षी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। प्रार्थी पैरवी करे। विपक्षीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाय। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग2 दि0 17.01.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना–पत्र 8ग2

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र 8ग2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना–पत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। सूची में नामित अगले क्रम के अधिवक्ता/कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु रिट जारी हो। वादी पैरवी करे। बाद पैरवी कमिश्नर नियत तिथि तक कमीशन कार्य निष्पादित कर अपनी आख्या व पैमाईशी मानचित्र प्रस्तुत करें।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

अजय/स्टेनो